वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल ।

विषय:— अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुप्रमाणन फार्म भेजने के संबंध में । —00—

विषयान्तर्गत इस कार्यालय में कार्यरत श्री प्रमोद शर्मा, आबकारी आरक्षक का कोविड महामारी से निधन हो जाने से उनके पुत्र दिव्यांश शर्मा, की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर भेजा जाना है।

अतः श्री दिव्यांश शर्मा, निवासी 175, नैनागिरी जे.के. रोड भोपाल, (मोबाइल नम्बर 6260619804) से निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म में जानकारी प्राप्त कर इस पत्र के साथ संलग्न कर (तीन प्रतियों में) भेजी जा रही है। कृपया नियमानुसार कार्यवाही उपरांत चरित्र प्रमाण देने का कष्ट करे, जिससे अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सके। संलग्न :—अनुप्रमाणन फार्म।

पृ.क./आब./स्था./2021/3696 प्रतिलिपि :- भाषायक आवकारी आयुक्त दिजिला भोपाल भोपाल, दिनांक....!3/8/2/

श्री दिव्यांश शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोद शर्मा, निवासी 175,नैनागिरी जे.के. रोड जिला भोपाल,(मोबाइल नम्बर 6260619804) की ओर सूचनार्थ।

> भहायक आबकारी आयुक्त १ जिला भोपाल



# अनुप्रमाणन फार्म

अनुप्रकाष्ट्रक काम में असत्य जानकारी देना या किसी तध्यात्मक कानकारी को छुपाना अनईता मानी जावंगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त टहराया जावेगा।

यदि इस फार्न को भरने और भंजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंट या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर पुरा जाता है अथवा उसे वंदी बनाया जाता है अथवा उस पर पुरा जाता है अथवा उसे वंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुमाना किया जाता है या उसे दांधी सिद्ध को जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सचित किये जाने चाहिए समाधा पर स्वार को कि

को जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए अन्यथा यह माना जायेगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई है, अत: यह स्वयं उम्मोदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौर प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।

3. यदि तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य नानकारी दी गेई या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आदे तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

आवेदक का पूरा नाम, (स्पष्ट अक्षरों में) उपनाम (यदि आपसे किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम मं कुछ जोड़ना हो या हटाना हो कृपया उसका उलेख कीजिए।)

कुल नाम (सरनेम) शुर्भि पूरा नाम दिट्यार्थी

वर्तमान पूरा पता
अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला
या घर क्रमांक / गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और राज्य,
जिसमें वह स्थित हो

125 ने नामिरी जे के रोड भोषात अ.प्र

क घर का पूरा पता
अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला
या घर क्रमांक / गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और राज्य,
जिसमें वह स्थित हो

175 त्याविष्टी जा के शंड भोषात म.प

ख यदि मूलत: पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता या भारतीय संघ में प्रवास की तारीख।

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, चिंद विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं) में रहे हो तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिये जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

ं कब से	कय तक	निवास का पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला अर्थात घर क्रमांक, गली, मार्ग सड़क तथा नगर)	पूर्व खाने में उल्लेखित स्थन मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो
	***************************************		
	***		
17 11 11 11 11		the state of the s	

5. क. पिता का पूरा नाम तथा उप नाम यदि हो तो .....

(75 न ना विगरी

213

म. प्र


हो तो पिछला उता दीजिए) ग. घर का स्थाई पता

ख, वर्तमान डाक पता (यदि स्वर्गवास हो एया

175 ने निर्म के रोड भोपाट म. प्र

घ. व्यवसाय शासकीय शेवन

ड यदि किसी सेवा में हो तो उनका पद नाम तथा कार्यालय का पता दीजिए



आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं ? क्या आप पर कभी अभियोज़न चलाया गया है ? क्या आप कभी निरुद्ध रे हैं ? क्या आपसे मुचलका लिया गया है आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं / बाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है ? उसके लिए अनर्हत ठहराया गया है या आपको कसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है निष्काषित किया गया है ?

क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/ मंस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लिम्बत है

यदि उपरोक्त (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हो तो आपको अनुप्रमाणन फार्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोष सिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यीरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लिम्बित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्निलिखित ब्यौरे भी दिये जायेंगे -

- (एक) अपराध/आरोप
- पुलिस थाने में पंजीबद्ध
- (तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम
- मामले का क्रमांक / न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तिथि को किया गया
- (पांच) दिया गया दण्ड
- क्या दोषमुक्त कर दिया गया .....
- (सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापिस ले लिया गया था।

क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है के सदस्य हैं या उससे सहयोजित रहे हैं। यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टयां दें जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा सम्बद्धता की काद्यांकाख तास ध्या क्यांकाश कार्यावधि / अवधि इत्यादि ।

टिप्पणी : अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे, अभ्यार्थी अनुप्रमाणन फार्म में दी गई चेतावनी नोट करें। न्यायालय से तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक.

निवेशियों (रैफरियों) के नाम जो आपको जानते हों

आपके मोहले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो १ थान्य २१० देशमुटन (8097919 626)

2 AHOR 2121 (9826298912)

में प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। में ऐसे किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती है। मैं इस बात में सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के सम्बन्ध में असत्य या अपूर्ण पाई जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा ओर उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

# पहचान प्रमाण-पत्र

ण पत्र पर निम्नलिखित में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिये

- एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी
- (दो) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य
- (तीन) सब डिवीजनल पजिस्ट्रेट अधिकारी
- (चार) तहसीलदार / नायब तहसीलदार (उप) जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो।
- (पांच) शासकीय तथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख
- (छ:) खण्ड विकास अधिकारी
- (सात) पोस्ट मास्टर
- (आठ) पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (२८८८२) १८८८ वर्ष को लगभग पिछले. ६ वर्ष के माह र जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे जहां मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, कि वे सही है।

स्थान स्थान । ३०३ २०२)

पदनाम या सहायक जिला आबकारी अधिकाः स्थित तथा पता जिला भोपाल (म.प्र.)

## (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम / पदनाम और पता अविकार। आपूर्व , आविक्षाहल व्वालियर सि.च)

AND THE REAL POINT OF REAL PRINTS & SERVED IN SERVED AND THE AND THE SERVED AND THE SERVED AND THE SERVED ASSESSMENT OF THE SERVED AND THE SERVED ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE SERVED ASSESSMENT ASSES

(दो) वह पद जिसके लिये उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है (स्टा-अ)-3)

#### शपथ पत्र



Scuit Eins आयु 21 प्रत्र/पुत्री/पलि ..... शपथपूर्वक कथन करता / करती हुं-यह मेरा चयन यह कि मेरा चरित्र उत्तम है। यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक भामले में गिरपतार नहीं किया गया है।

यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस धाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लियत

यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही

यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया हैं

भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य

यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रामाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथग्रहिता

### सत्यापन

..... सत्यापित करता / करती हूं कि इस शपथ में उपरोक्त शपथग्रहिता पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समुन्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः .....में किया गया है।

शपथग्रहिता

> मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थय अधिकारी, जे.पी. अस्पताल —1250 जिला भोपाल ।

विषय:- स्वास्थता प्रमाण-पत्र के संबंध में । -00-

विषयान्तर्गत इस कार्यालय में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार शर्मा, आबकारी आरक्षक का कोविड महामारी से निधन हो जाने से उनके पुत्र दिव्यांश शर्मा, की अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वास्थय प्रमाण-पत्र को आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर भेजा जाना है।

अतः श्री दिव्यांश शर्मा, निवासी 175,नैनागिरी जे.के. रोड भोपाल,(मोबाइल नम्बर 6260619804) की नियमानुसार जांच उपरांत स्वास्थता प्रमाण देने का कष्ट करे, जिससे अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सके।

> सहायक अबिकारी आयुक्त १२ जिला भोपाल भोपाल, दिनांक.....

पृ.क./आब./स्था./2021/3688

प्रतिलिपि:-श्री दिव्यांश शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोद शर्मा, निवासी 175,नैनागिरी जे.के. रोड जिला भोपाल,(मोबाइल नम्बर 6260619804) की ओर सूचनार्थ।

> भ्राध्यक आबकारी आयुक्त ि जिला भोपाल